To Make Villages Lal Dora Free

110 SMT. NAINA SINGH CHAUTALA (Badhra):

Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the steps are being taken by the Government to remove the short comings occurred during the scheme of making villages Mai Kalan and Todi of Badhra Assembly Constituency Lal Dora free togetherwith the details thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER

Sir, a statement is laid on the table of house.

Statement of Sh. Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana referred to in reply to Un-Starred Question No. 110 asked by Smt Naina Singh Chautala, M.L.A.

Under Swamitva Scheme, demarcation of Lal Dora in villages Todi and Mai Kalan of Dadri constituency was undertaken and after demarcation in first phase, attribute sheets prepared by drone survey were sent to the Survey of India, Chandigarh. Thereafter, claims/objections of villagers regarding second phase maps were sought within a period of one month. In response thereto, 34 claims/objections in village Todi and 48 claims/objections in village Mai Kalan were received. Most of these were related to issue of mutual share and some were related to fixing of boundary of Lal Dora. Thereafter, these objections were evaluated by the Revenue officers/officials and upon evaluation and ground verification, boundary of Lal Dora was found correct. To settle the claims/objections, Gram Sabha meetings were organised and after settling these claims/objections, final phase map was collected from the Survey of India. 10 property cards in village Todi and 119 property cards in village Mai Kalan were distributed to villagers through Gram Sachivs. However, claims/objections being filed afterwards from time to time by the villagers are being settled by organising Gram Sabha meetings of the concerned villages.

*****

गांवों को लालडोरा मुक्त करना

110 **श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा):**

क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढड़ा निर्वाचनक्षेत्र के गांव माई कलां तथा टोड़ह को लालडोरा मुक्त करने की योजना के दौरान आई कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री

महोदय, कथन सदन के पटल पर रखा है।

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा का श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रशन संख्या 110 के उत्तर में कथन।

स्वामित्व योजना के तहत बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के टोडी और माई कलां गांवों में लाल डोरा की पैमाईश की गई तथा प्रथम चरण में पैमाईश करने उपरान्त ड्रोन सर्वे के माध्यम से एट्रीब्यूट शीट तैयार करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चंडीगढ़ को भेजी गई। तदोपरान्त द्वितीय चरण के नक्शों पर एक माह की अवधि के अन्दर ग्रामीणों के दावे/आपत्तियां मांगी गई जिसके उत्तर में गांव टोडी में 34 व गांव माई कलां में 48 दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर आपसी हिस्सेदारी व कुछ लाल डोरा की सीमा तय करने से संबंधित थी। तत्पश्चात इन आपत्तियों का राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा मूल्यांकन एवं जमीनी सत्यापन के पश्चात् लाल डोरा की बाउंड्री सही पायी गयी। दावों/आपत्तियों के निपटान हेतू ग्राम सभा की बैठको का आयोजन किया गया तथा इन दावों/आपत्तियों के समाधान उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अंतिम चरण के नक्शे प्राप्त किये गये। गांव टोडी में 10 और गांव माई कलां में 119 संपत्ति कार्ड ग्राम सचिवों के माध्यम से ग्रामीणों को वितरित किए गए। फिर भी ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर दावे/आपत्तियां दायर किये जाते रहे हैं, जिनका संबंधित गांवों की ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करके निपटान किया जा रहा है।

******